।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।।

Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfosspauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in (Road 11811)

पत्रांक :– 3137 / 12-1 ,पौड़ी, दिनांक, 23 मई, 2025.

413/जांच
24/05/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत अरकनी–खन्दुखाल–मुछियाली मोटर मार्ग (FP/UK/ROAD/11811/2015) के किमी0 8.00 से मटाखोली से कोल्टा–मुछियाली होते हुए ग्राम उतरासू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण की जांच के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– **भारत सरकार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/08/2016/एफ0सी0 दिनांक 11–02–2025.**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम अवगत कराना है कि भारत सरकार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/08/2016/एफ0सी0 दिनांक 11–02–2025 द्वारा जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत अरकनी–खन्दुखाल–मुछियाली मोटर मार्ग (FP/UK/ROAD/11811/2015) के किमी0 8.00 से मटाखोली से कोल्टा–मुछियाली होते हुए ग्राम उतरासू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट/औचित्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–1879/12–1 दिनांक 26–04–2025 को उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को उक्त प्रकरण की जांच हेतु निर्देशित किया गया था। उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–114/12–1 दिनांक 21–05–2025 को जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। **(संलग्न)**

उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी की जांच में निम्न तथ्य उक्त प्रकरण हेतु प्रस्तुत किये गये है – **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में क्षेत्र में जिस समरेखण को चिन्हित किया गया, उसी समरेखण पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वृक्षों की गणना छपान कार्य किया गया है एवं उसी समरेखण पर वास्तव में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया गया। प्रस्ताव में सम्मिलित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों का पातन नही किया गया है। प्रस्ताव में के0एम0एल0 द्वारा दर्शित समरेखण में त्रुटि सम्भवतः तकनीकी कारणों से हुई, जिसको कि समयान्तर्गत प्रस्ताव में संशोधन कर उच्च स्तर को प्रेषित नही किया गया।**

अतः उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– **उपरोक्तानुसार।**

स0 अ0 तृतीय/खण्डीय अमीन
24/5/25

भवदीय

(पवन नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक :– 3137 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(पवन नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।